उत्तर प्रदेश शासन,
श्रम अनुभाग–3
संख्या– 252 / 36–3–2018–45(सा0) / 16
लखनऊ दिनांकः: 16 फरवरी, 2018

अपर मुख्य सचिव,
आई0टी0 इलेक्ट्रानिक्स,
उ0प्र0 शासन।

उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट–अप नीति, 2017 के कियान्वयन विषयक कृप्या अपने अर्द्वशासकीय पत्र संख्या–188 / 78–1–2018–25 / 2012 टीसी–ए दिनांक 08.02.2018 एवं उत्तर प्रदेश विनिर्माण नीति, 2017 के कियान्वयन विषयक अपने अर्द्वशासकीय पत्र संख्या– 193 / 78–1– 2018–87आई0टी0 / 2014 दिनांक 08.02.2018 का कृपया संदर्भ करने कष्ट करें। जिसके द्वारा उपरोक्त नीतियों में निहित श्रम विभाग से संबंधित बिन्दुओं पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से आई0टी0 इलेक्ट्रानिक्स विभाग को अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2– इस संबंध में उक्त नीति में श्रम विभाग से संबंधित बिन्दुओं पर कृत कार्यवाही से संबंधित अभिलेख संलग्नकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–यथोक्त।

571/PSIT/18
USIT
16-2-18
(संजीव सरन)
अपर मुख्य सचिव,
आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

(जय शंकर तिवारी)
उप सचिव।

1790/USIT/A/18
Sec-1
19.02.18.

19/02/18

E/vikalp-2018 U.O.

क्रम-संख्या–36

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 29 जनवरी, 2018

माघ 9, 1939 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 202 / 79-वि-1–18-1(क)-08-2017

लखनऊ, 29 जनवरी, 2018

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पर दिनांक 10 जनवरी, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2018 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2017

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2018)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

कारखाना अधिनियम, 1948 का उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1–(1) यह अधिनियम कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।

अधिनियम सख्या 63 सन् 1948 की धारा 2 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथा संशोधित कारखाना अधिनियम, 1948 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, खण्ड (ड) में,--

(एक) उप--खण्ड (एक) में, शब्द "दस या अधिक" के स्थान पर शब्द "बीस या अधिक" रख दिये जायेंगे।

(दो) उप--खण्ड (दो) में, शब्द "बीस या अधिक" के स्थान पर शब्द "चालीस या अधिक" रख दिये जायेंगे।

धारा 64 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 64 में उपधारा (4) में, खण्ड (चार) में, शब्द "पचास" के स्थान पर शब्द "एक सौ" रख दिये जायेंगे।

धारा 65 का संशोधन

4--मूल अधिनियम की धारा 65 में, उपधारा (3) में, खण्ड (चार) में, शब्द "पचहत्तर" के स्थान पर शब्द "एक सौ पन्द्रह" रख दिये जायेंगे।

धारा 66 का संशोधन

5--मूल अधिनियम की धारा 66 में, उपधारा (1) में, खण्ड (ख) में, विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायेगा, अर्थात्:--

"परन्तु राज्य सरकार किसी कारखाने या कारखानों के समूह या वर्ग या प्रकार के कारखानों के संबंध में, इस खण्ड में अधिकथित सीमाओं में फेरफार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कर सकती है और ऐसे फेरफार से सायं 7 बजे और अगले दिन प्रातः 6 बजे के बीच के घंटों मे किसी स्त्री को नियोजन के लिये यह उल्लिखित करते हुये प्राधिकृत किया जा सकता है कि स्त्री की सुरक्षा एवं सुविधाओं के लिए आवश्यक उपबंध किये जायं।"

उद्देश्य और कारण

कारखानों में नियोजित श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण, कार्य के घण्टे, अतिकाल, अवकाश तथा अन्य पहलुओं की व्यवस्था करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 अधिनियमित किया गया है।

वैश्वीकरण, उदारीकरण तथा परिणामी प्रतिस्पर्धात्मक व्यावसायिक वातावरण के कारण अतिकाल से संबंधित उपबंधों को शिथिल करने, रात्रि में महिलाओं को नियोजित करने तथा लघु औद्योगिक ईकाइयों को अधिनियम के आच्छादन से मुक्त करने की माँग बढ़ती रही है। अतः नियोक्ता संघों तथा व्यापार संघों से सम्यक विचार--विमर्श के पश्चात् यह विनिश्चय किया गया है कि अतिकाल के घण्टे बढ़ाये जाने तथा कतिपय शर्तों के अधीन रात्रि में महिला कर्मकारों के नियोजन की अनुज्ञा देने के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 का उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में संशोधन किया जाय।

तदनुसार कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,

वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,

प्रमुख सचिव।

No. 202(2)/LXXIX-V-1-18-1(ka)-08-2017

Dated Lucknow, January 29, 2018

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Karkhana (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 2017 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 13 of 2018) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on January 10, 2018.

THE FACTORIES (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 2017

(U. P. ACT NO. 13 OF 2018)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

further to amend the Factories Act, 1948 in its application to the State of Uttar Pradesh.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and extent

1. (1) This Act may be called the Factories (Uttar Pradesh Amendment) Act, 2017.

(2) It shall extend to the whole of the State of Uttar Pradesh.

Amendment of section 2 of Act no. 63 of 1948

2. In section 2 of the Factories Act, 1948 as amended in its application to Uttar Pradesh, hereinafter referred to as the principal Act, in clause (m),–

(i) in sub-clause (i), *for* the words "ten or more", the words "twenty or more" shall be *substituted*;

(ii) in sub-clause (ii), *for* the words "twenty or more", the words "forty or more" shall be *substituted.*

Amendment of section 64

3. In section 64 of the principal Act, in sub-section (4), in clause (iv) *for* the word "fifty", the words "one hundred" shall be *substituted.*

Amendment of section 65

4. In section 65 of the principal Act, in sub-section (3), in clause (iv) *for* the words "seventy-five" the words "one hundred fifteen " shall be *substituted.*

Amendment of section 66

5. In section 66 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (b) *for* the existing proviso, the following proviso shall be *substituted*, namely:-

"Provided that the State Government may, by notification in the Official *Gazette*, in respect of any factory or group or class or description of factories vary the limits laid down in this clause and such variation may authorize the employment of any woman between the hours of 7 p.m. and 6 a.m. mentioning therein the provisions for the safety and facilities of the woman to be given to her."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Factories Act, 1948 has been enacted by the Central Government with the object of providing the safety, health, welfare, working hours, overtime, leaves and other aspects of workers employed in factories.

Due to globalization, liberalization and consequent competitive business atmosphere there has been growing demand for relaxing the provisions relating to overtime, employment of women during night and exempting small industrial units from applicability of the Act. So, after due consultation with associations of employers and trade unions, it has been decided to amend the Factories Act, 1948 in its application to Uttar Pradesh to enhance hours of overtime and to permit the employment of women workers during night under certain conditions.

The Factories (Uttar Pradesh Amendment) Bill, 2017 is introduced accordingly.

By order,

VIRENDRA KUMAR SRIVASTAVA,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 842 राजपत्र–(हिन्दी)–2018–(2615)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 170 सा० विधायी–30–1–2018–(2616)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।

रजिस्ट्री सं० डी० एल०—(एन)04/0007/2003—17 REGISTERED NO. DL—(N)04/0007/2003—17

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II — खण्ड 1
PART II — Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 6] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 28, 2017/चैत्र 7, 1939 (शक)
No. 6] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 28, 2017/CHAITRA 7, 1939 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)

New Delhi, the 28th March, 2017/*Chaitra* 7, 1939 (*Saka*)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 27th March, 2017, and is hereby published for general information:—

THE MATERNITY BENEFIT (AMENDMENT) ACT, 2017

No. 6 OF 2017

[27*th March*, 2017.]

An Act further to amend the Maternity Benefit Act, 1961.

BE it enacted by Parliament in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (*1*) This Act may be called the Maternity Benefit (Amendment) Act, 2017.

(*2*) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

Amendment of section 3.

53 of 1961.

2. In the Maternity Benefit Act, 1961 (hereinafter referred to as the principal Act), in section 3, after clause (*b*), the following clause shall be inserted, namely:—

'(*ba*) "commissioning mother" means a biological mother who uses her egg to create an embryo implanted in any other woman;'.

Amendment of section 5.

3. In the principal Act, in section 5,—

(*A*) in sub-section (*3*)—

(*i*) for the words "twelve weeks of which not more than six weeks", the

words "twenty-six weeks of which not more than eight weeks" shall be substituted;

(*ii*) after sub-section (*3*) and before the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that the maximum period entitled to maternity benefit by a woman having two or more than two surviving children shall be twelve weeks of which not more than six weeks shall precede the date of her expected delivery;";

(*iii*) in the first proviso, for the words "Provided that", the words "Provided further that" shall be substituted;

(*iv*) in the second proviso, for the words "Provided further that", the words "Provided also that" shall be substituted;

(*B*) after sub-section (*3*), the following sub-sections shall be inserted, namely:—

"(*4*) A woman who legally adopts a child below the age of three months or a commissioning mother shall be entitled to maternity benefit for a period of twelve weeks from the date the child is handed over to the adopting mother or the commissioning mother, as the case may be.

(*5*) In case where the nature of work assigned to a woman is of such nature that she may work from home, the employer may allow her to do so after availing of the maternity benefit for such period and on such conditions as the employer and the woman may mutually agree.".

Insertion of new section 11A.

4. In the principal Act, after section 11, the following section shall be inserted, namely:—

Créche facility.

"11A. (*1*) Every establishment having fifty or more employees shall have the facility of créche within such distance as may be prescribed, either separately or along with common facilities:

Provided that the employer shall allow four visits a day to the creche by the woman, which shall also include the interval for rest allowed to her.

(2) Every establishment shall intimate in writing and electronically to every woman at the time of her initial appointment regarding every benefit available under the Act.".

DR. G. NARAYANA RAJU,
Secretary to the Govt. of India.

UPLOADED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054.

GMGIPMRND—5579GI—28-3-2017.

MANOJ KUMAR Digitally signed by MANOJ KUMAR Date: 2017.03.29 04:15:54 +05'30'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 914] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 2017/चैत्र 10, 1939
No. 914] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2017/CHAITRA 10, 1939

श्रम और रोजगार मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2017

का.आ. 1026(अ).— केन्द्रीय सरकार, प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का 6) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा –

(i) 1 अप्रैल, 2017 जिससे उक्त अधिनियम के प्रावधान, सिवाय धारा 3 की उप-धारा (5); तथा

(ii) 1 जुलाई, 2017 जिससे उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (5),

प्रवृत्त होगें, ऐसी तारीख नियत करती है।

[फा. सं. एस-36012/03/2015-सा.सु.-I]

मनीष कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2017

S.O. 1026(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Maternity Benefit (Amendment) Act, 2017 (6 of 2017), the Central Government hereby appoints—

(i) the 1st day of April, 2017 as the date on which the provisions of the said Act, except sub-section (5) of section 3: and

(ii) the 1st day of July, 2017, as the date on which sub-section (5) of section 3 of the said Act,

shall come into force.

[F.No.S-36012//03/2015-SS-I]

MANISH KUMAR GUPTA, Jt. Secy.

1833 GI/2017

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.04.01 12:43:21 +05'30'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 934] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 03, 2017/चैत्र 13, 1939
No. 934] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 03, 2017/CHAITRA 13, 1939

श्रम और रोजगार मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2017

का.आ. 1049(अ.).—दिनांक 31 मार्च, 2016 के का.आ. सं. 1026(अ.) के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय की दिनांक 31 मार्च, 2017 की अधिसूचना संख्या 914 में 'धारा 3 की उप-धारा (5)' शब्दों और अंकों के लिए दोनों स्थानों पर 'धारा 4 की उप-धारा (1)' शब्द और अंक पढ़े जाएं।

[फाइल सं. एस-36012/03/2015-सा.सु.-I]

मनीष कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

CORRIGENDUM

New Delhi, the 3rd April, 2017

S.O. 1049(E).—In the Government of India, Ministry of Labour and Employment notification No.914 dated 31st March,2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1026 (E) dated the 31st March, 2016,–for the words and figures 'sub-section (5) of section 3', the words and figures 'sub-section (1) of section 4' may be read at both the places.

[F.No.S-36012/03/2015-SS-I]

MANISH KUMAR GUPTA, Jt. Secy.

1876 GI/2017

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.04.05 15:31:58 +05'30'

<u>संख्या- 13/2017/836/36-032017-1820/12</u>

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

श्रम आयुक्त,
उ0प्र0 कानपुर।

श्रम अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 28 जुलाई, 2017

विषय:- श्रम आयुक्त संगठन के अंतर्गत नवीन निरीक्षण प्रणाली व स्वप्रमाणन व्यवस्था के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-1820/03-2012 दिनांक 30.10.2012 द्वारा अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के क्रियान्वयन हेतु कारखानों, दुकानों एवं वाणिज्यिक अधिष्ठानों में श्रम कानूनों के प्रवर्तन हेतु स्वप्रमाणन व्यवस्था लागू की थी।

2- उक्त शासनादेश को अवक्रमित करते हुए वैश्विक स्तर पर औद्योगिक प्रतिस्पर्धा के दृष्टिगत उद्योगों को निर्बाध गति से संचालित किए जाने हेतु यह आवश्यक है कि निरीक्षण प्रक्रिया को नियंत्रित करते हुए पारदर्शी बनाया जाय। श्रम आयुक्त संगठन द्वारा मुख्यत: 18 केन्द्रीय श्रम अधिनियम व 04 राज्य श्रम अधिनियम के प्रवर्तन व उनके अन्तर्गत प्रवर्तन का कार्य किया जाता है। श्रमिकों के हित संवर्धन तथा श्रमिक व सेवायोजक के मध्य मधुर औद्योगिक संबंधों को स्थापित करने एवं श्रमिकों के व्यापक हित में श्रम अधिनियमों को प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित किये जाने हेतु निरीक्षण एवं स्वप्रमाणन की व्यवस्था लागू किए जाने के संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है।

1 <u>स्वप्रमाणन की व्यवस्था।</u>

ऐसे पंजीकृत कारखाने, जो खतरनाक या अति खतरनाक प्रतिष्ठान की श्रेणी में नहीं आर्वत हैं, तथा दुकान व वाणिज्य अधिष्ठान में स्व-प्रमाणन प्रक्रिया के तहत आवेदन करने एवम श्रम कानूनों के पालन का अश्वासन दिये जाने की स्थिति में 05 वर्ष की अवधि में केवल एक बार संयुक्त निरीक्षण रैण्डम आधार (स्व प्रमाणन के अन्तर्गत आवर्त प्रतिष्ठानों की संख्या का 20 प्रतिशत) पर किया जाएगा अर्थात एक बार निरीक्षण किए जाने के उपरांत उस प्रतिष्ठान में 05 वर्ष की अवधि में कोई निरीक्षण नही किया जाएगा। स्वप्रमाणन योजना के अन्तर्गत आवर्त प्रतिष्ठान के निरीक्षण के

www.shasanadesh.up.nic.in

03 दिन पूर्व निरीक्षण की सूचना अनिवार्य रूप से नियोजक को दी जाएगी। स्वप्रमाण्न व्यवस्था की प्रक्रिया एव प्रारूप संलग्न है।

2- **अपंजीकृत प्रतिष्ठान का शत प्रतिशत निरीक्षण।**

ऐसे प्रतिष्ठान जो दुकान एवम वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम-1962 या कारखाना अधिनियम-1948 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं हैं, उनका श्रम आयुक्त, उ0प्र0 अथवा मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी की अनुमति से शत-प्रतिशत निरीक्षण किया जा सकेगा। उक्त निरीक्षण आकस्मिक रूप से बिना सूचना दिये किया जायेगा।

3- पंजीकृत प्रतिष्ठान का वार्षिक निरीक्षण।

ऐसे पंजीकृत प्रतिष्ठान जो स्वप्रमाणन का चुनाव नहीं करते है, उनका श्रम आयुक्त, उ0प्र0 अथवा मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी की अनुमति से आवश्यकतानुसार वार्षिक निरीक्षण किया जा सकेगा, शर्त यह है कि यह निरीक्षण किसी भी दशा में वर्ष में एक बार से अधिक नही किया जायेगा।

4- **खतरनाक व अति खतरनाक प्रक्रियाओं में आवश्यतानुसार वर्ष में एक बार निरीक्षण किया जाना।**

खतरनाक व अति खतरनाक प्रतिष्ठान, जिनमें मानव जीवन का जोखिम विद्यमान है, में आवश्यकतानुसार निरीक्षण संपादित किया जाएगा। इसी प्रकार स्टोरेज व हैण्डलिंग ऑफ केमिकल्स वाली ईकाइयों का आवश्यकतानुसार निरीक्षण किया जाएगा, शर्त यह है कि यह निरीक्षण सामान्य तौर पर वर्ष में एक बार से अधिक नही होगा। माह में किये जाने वाले निरीक्षणों का पूर्वानुमोदन श्रमायुक्त कार्यालय से लिया जाएगा।

5- **शिकायतों के आधार पर निरीक्षण**

किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान के श्रमिकों के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त/श्रम आयुक्त की अनुमति से कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है।

6- प्रतिष्ठानों में दुर्घटना होने पर निरीक्षण

किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान में संघातक अथवा गम्भीर प्रकृति की दुर्घटना होने पर प्रतिष्ठान का निरीक्षण विभाग के सहायक श्रमायुक्त एवं सहायक निदेशक कारखाना से अन्यून स्तर के अधिकारी की अनुमति से किया जा सकेगा।

7- स्टार्ट-अप नीति के तहत स्थापित की जाने वाली ईकाइयों को 03 वर्ष तक निरीक्षण से छूट

स्टार्ट-अप नीति के तहत स्थापित होने वाले प्रतिष्ठानों को इकाई स्थापित होने के दिनांक से 03 वर्ष तक स्व-प्रमाणन के अन्तर्गत आवेदन किये जाने के आधार पर श्रम अधिनियमों के अंतर्गत निरीक्षण से छूट होगी परन्तु क्रमांक 6 की स्थिति में उक्त छूट मान्य नही होगी।

www.shasanadesh.up.nic.in

8- अन्य सभी औद्योगिक इकाइयों वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को **रैण्डम रिस्क बेस्ड निरीक्षण** हेतु कार्मिकों की संख्या के आधार पर इस प्रकार वर्गीकृत किया जायेगा।

(i) कैटेगरी (ए) 01 से 50 कार्मिक

(ii) कैटेगरी (बी) 51 से 100 कार्मिक

(iii) कैटगरी (सी) 101 से 300 कार्मिक

(iv) कैटेगरी (डी) 301 से अधिक कार्मिक

9- <u>कम जोखिम एवं उच्च जोखिम वाले अधिष्ठान</u>

<u>(ए)-कम जोखिम</u>

ऐसे अधिष्ठान जो कैटेगरी (ए) व (बी) में आते हों तथा श्रम अधिनियमों का अनुपालन करते हों व कुछ का अनुपालन/ आंशिक रूप से करते हों,

(i) ऐसे अधिष्ठान जहाँ विगत वर्षों में श्रमिक अशान्ति यथा-हडताल/तालाबन्दी न हुई हों,

(ii) ऐसे अधिष्ठान जहाँ विगत वर्षों में कोई संघातक दुर्घटना न हुई हों,

(iii) ऐसे अधिष्ठान जहाँ कुल कार्मिकों के 50 प्रतिशत से कम संविदा कर्मकार नियोजित हों ।

(iv) ऐसे अधिष्ठान जहाँ विगत 03 वर्षो में कोई निरीक्षण नही हुआ हो।

(बी)- <u>उच्च जोखिम</u>

ऐसे अधिष्ठान जो कैटेगरी (ए) व (बी) में आते हो तथा जो निर्धारित प्रक्रिया अपनाये बिना कार्मिकों की छटनी व सेवा समाप्त कर देते हों,

(i) - ऐसे अधिष्ठान जहाँ अक्सर श्रमिक अशान्ति यथा हडताल/तालाबन्दी होती हो,

(ii) - ऐसे अधिष्ठान जो कारखाना अधिनियम में अति-खतरनाक श्रेणी में आते हों,

(iii) - ऐसे अधिष्ठान जहाँ विगत समय में दूर्घटना (Accident) कारित हुई हों,

(iv) - ऐसे अधिष्ठान जहाँ विगत समय में बाल श्रमिक नियोजित पाये गये हों,

<u>10- निम्न दशाओं में निरीक्षण यअनिवार्य रूप से यवर्ष में 01 बार किये जाय</u>

(i) - प्रतिष्ठान जहाँ पिछले 02 वर्ष में कोई गम्भीर दुर्घटना घटित हुई हो।

(ii) - प्रतिष्ठान जहाँ हडताल, तालाबंदी अथवा छटनी की गयी हो।

(iii) - अति खतरनाक कारखाने।

(iv) - ऐसे बंद प्रतिष्ठान, जहाँ श्रमिकों के देय अवशेष हों।

<u>सामान्य अनुदेश</u>

(1) <u>जारी निरीक्षण टिप्पणी को 48 घण्टे के अंदर वेबसाइट पर अपलोड किया जाना।</u>

निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान के निरीक्षण के पश्चात विभागीय वेबसाइट पर 48 घण्टे के अंदर निरीक्षण टिप्पणी अपलोड करनी होगी। ऐसा न किए जाने पर निरीक्षणकर्ता अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। इसके अतिरिक्त

www.shasanadesh.up.nic.in

क्षेत्रीय स्तर पर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निरीक्षण टिप्पणी को हस्ताक्षरित एवम मुद्रान्कित किया जाना होगा तथा इसका रिकार्ड इस आशय से कार्यालय में संरक्षित किया जाएगा कि वह किस निरीक्षणकर्ता अधिकारी को किस दिनांक में जारी की गयी है।

<u>(2) समस्त निरीक्षण, निरीक्षण कर्ताओं की संयुक्त टीम द्वारा किए जाने की व्यवस्था।</u>

समस्त निरीक्षण, संयुक्त टीम द्वारा जिसमें कम से कम 02 निरीक्षणकर्ता अधिकारी अवश्य शामिल होंगे, किया जाएगा, जिसमें उपलब्धता के आधार पर सहायक श्रमायुक्त, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, सहायक निदेशक कारखाना सम्मिलित होंगे।

(3) अधिष्ठानों के निरीक्षण में रैण्डम रिस्क बेस्ड प्रक्रिया अपनाने से संबंधित निरीक्षक को उसी अधिष्ठान का दुबारा निरीक्षण करने से रोका जा सकेगा क्योंकि समस्त निरीक्षण संयुक्त निरीक्षण प्रणाली पर आधारित होगा।

(4) निरीक्षण इकाईयों के निरीक्षणोपरान्त अनुपालन आख्या अधिकतम 15 दिवस में प्राप्त होनी चाहिए। प्राप्त न होने की दशा में संबंधित उच्चाधिकारियों से अधिकार पत्र प्राप्त कर विधिक कार्यवाही अपनायी जायेगी। किसी भी दशा में किए गए निरीक्षण के विरूद्ध अनुपालन आख्या प्राप्त न होने के फलस्वरूप अग्रेतर कार्यवाही व अभियोग कालातीत न होने के फलस्वरूप अग्रेतर कार्यवाही व अभियोग कालातीत (Time barred) नहीं होनी चाहिए।

(5) भारतीय बायलर विनियम, 1950 के तकनीकी उपबन्धों के अनुसार प्रतिवर्ष बायलर व बायलर संघटकों का निरीक्षण, बायलर स्वामी द्वारा ऐसे तृतीय पक्षकार निरीक्षण अभिकरण के माध्यम से कराया जायेगा, जो केन्द्रीय बायलर बोर्ड भारत सकरकार औद्योगिक नीति एवं संबर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली द्वारा प्राधिकृत हो। स्वप्रमाणीकरण/तृतीय पक्षकार निरीक्षण प्रणाली का उददेश्य भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 के अधीन कर्मकारों की सूरक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण से समझौता किए बिना कारोबार की सुगमता में वृद्धि करना है। स्वप्रमाणीकरण/तृतीय पक्षकार निरीक्षण प्रणाली के सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या-11/2017/515/36-03-2017-29 (सा0)/14टीसी0सी0, दिनांक 16 जून, 2017 जारी की जा चुकी है।

<u>12- स्वप्रमाणन व्यवस्था</u>

(i) उद्यमियों द्वारा स्वप्रमाणन व्यवस्था में सम्मिलित होने का आवेदन/विकल्प निर्धारित प्रारूप पर घोषणा पत्र सहित प्रस्तुत किया जायेगा तथा ऐसे उद्यमियों को उनके द्वारा दिये जाने वाले घोषणा पत्र को सत्य मानते हुए उन्हें निरीक्षण से छूट प्रदान की जाएगी स्वप्रमाणन व्यवस्था के तहत आवेदन करने पर प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या के 20 प्रतिशत प्रतिष्ठानों का रैण्डम रिस्क बेस्ड आधार पर 05 वर्ष में एक बार निरीक्षण किया

www.shasanadesh.up.nic.in

जाएगा । ऐसे सभी उद्यमियों/नियोजकों को निरीक्षण के पूर्व निरीक्षण किए जाने के समय/तिथि से अवगत कराया जाएगा।

(ii) निरीक्षण के दौरान कोई कमियां पाये जाने पर अभियोजन की कार्यवाही न करते हुए नियोजक को सुधारात्मक कार्य्रवाही करने हेतु समयसीमा दी जाएगी और नियोजक से यह अपेक्षित होगा कि वह चिन्हित की गयी कमियों को दी गयी समयसीमा में आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही करते हुए पूर्ण करे। निरीक्षण में पायी गयी कमियों के निवारण हेतु नियोजक 15 दिन की अवधि दी जाएगी जिसके जिसके पूर्ण होने पर तथा कमियों के विवरण की सूचना से न अवगत कराए जाने की स्थिति में पुनः 15 दिन की अवधि कमियों के निराकरण हेतु नियोजक को दी जाएगी। इस प्रकार दो बार अवसर दिए जाने के बाद भी यदि नियोजक द्वारा उन कमियों का निवारण नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा में उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी तथा उसे स्वप्रमाणन व्यवस्था के लाभ से भविष्य में वंचित कर दिया जाएगा।

(iii) यदि 05 वर्ष की अवधि के भीतर श्रम कानूनों के उल्लंघन के बाबत कोई शिकायत प्राप्त होती है या संज्ञान में लायी जाती है तो श्रमायुक्त/जिलाधिकारी की अनुमति से अतिरिक्त निरीक्षण किया जा सकेगा। ऐसे निरीक्षण की सूचना सम्बन्धित इकाई को दिए जाने के सम्बन्ध में श्रमायुक्त/जिलाधिकारी द्वारा ही निर्णय लिया जाएगा।

(iv) स्वप्रमाणन व्यस्था के अन्तर्गत आवेदन करने वाले उद्यमियों को सभी अधिनियमों के अन्तर्गत निरीक्षण हो जाने के उपरान्त अनावश्यक निरीक्षणों से मुक्ति प्राप्त होगी तथा निरीक्षण का उददेश्य दण्डात्मक न होकर उद्यमी को मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान किया जाना होगा।

(v) यह योजना वैकल्पिक होगी अर्थात कोई भी दुकान/वाणिज्य स्थापन्न या कारखाना के नियोजक योजना के अन्तर्गत शामिल होने हेतु स्वतन्त्र होंगे किन्तु अपंजीकृत प्रतिष्ठान, खतरनाक व अतिखतरनाक उद्योग इस योजना से आवर्त नहीं होंगे।

(vi) योजना में सम्मिलित होने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है अर्थात कोई भी नियोजक इस योजना में सम्मिलित होने हेतु संलग्न प्रारूप 1 व 2 में आवेदन कभी भी सीधे सम्बन्धित क्षेत्रीय/जनपदीय कार्यालय में प्रस्तुत करेगा अथवा वह ऐसा आवेदन श्रम विभाग के पोर्टल (uplabour.gov.in) पर भी कर सकेगा।

(vii) आवेदन पत्र प्राप्त होने के 60 दिन की अवधि के भीतर आवेदन का परीक्षण कर नियोजक/उद्यमी को आवेदन में पायी गयी कमियों अथवा आवेदन स्वीकार करने की स्थिति से सूचित किया जाएगा। यदि 02 माह की अवधि के भीतर आवेदक को उसके आवेदन की कमियों के सम्बन्ध में कोई सूचना नही दी गयी है तो उसका आवेदन स्वीकार समझा जाएगा। लेकिन यदि आवेदन में कोई कमी सूचित की जाती है तो

www.shasanadesh.up.nic.in

नियोजक द्वारा कमी के निराकरण के पश्चात उसे आवेदन स्वीकृत किए जाने की अलग से सूचना दी जाएगी।

(viii) नियोजक के उक्त योजना में शामिल होने स्थिति में उसे प्रारूप-3 पर वर्तमान वर्ष की शेष अवधि तथा 31 जनवरी तक अगले कैलेण्डर वर्ष के लिए विवरणी की प्रविष्टियां पूर्ण कर प्रेषित किया जाना होगा। नियोजक के लिए विवरण ऑनलाईन दाखिल किए जाने का भी विकल्प होगा। यदि निर्धारित समय सीमा के अन्दर विवरणी प्राप्त नहीं होती है तो उक्त अवधि को विस्तारित करते हुए 15 दिन की अवधि विवरणी प्रेषित किए जाने हेतु अनुमति दी जाएगी। 15 फरवरी तक विवरणी दाखिल न होने की दशा में प्रतिष्ठान को स्वप्रमाणन योजना से बाहर यकर दिया जाएगा।

(ix) योजना में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र एवं घोषणा पत्र नियोजक/स्थापन के निम्नलिखित पदाधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा -

(क)- एकल नियोजक/प्रोपराइटरशिप स्थापन-फर्म के नियोजक/प्रोपरइटर द्वारा स्वयं ।

(ख)- पार्टनरशीप फर्म-फर्म का कोई भागीदार अथवा प्रबंधक ।

(ग)- कम्पनी की स्थिति में-कम्पनी द्वारा अधिकृत डायरेक्टर या प्रबंधक संचालक।

(घ)- कारखाने की स्थिति में-अधिभोगी या कारखाना प्रबंधक।

नवीन निरीक्षण प्रणाली व स्वप्रमाणन संबंधी व्यवस्था के प्रारूप संलग्न है। कृपया उक्त नई निरीक्षण प्रणाली से संबंधित समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराते हुए इसका प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करने एवं इसकी प्रगति से त्रैमास में एक बार अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोक्त ।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या- 13/2017/836(1)/36-03-2017 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- औद्योगिक विकास आयुक्त उ0प्र0, लखनऊ ।

2- प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0, शासन।

3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी उ0प्र0 (द्वारा श्रमायुक्त उ0प्र0)

www.shasanadesh.up.nic.in

4- निदेशक उद्योग बंधु, 12-सी, माल एवेन्यू लखनऊ ।

5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पमर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

6- निदेशक कारखाना/निदेशक ब्वायलर्स, उ0प्र0, कानपुर।

7- समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त, उ0प्र0(द्वारा श्रमायुक्त, उ0प्र0)

8- समस्त उप/सहायक निदेशक कारखाना, उ0प्र0 (निदेशक कारखाना उ0प्र0)

9- श्रम विभाग के समस्त अनुभाग।

10- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(राजीव शर्मा)

विशेष सचिव।

www.shasanadesh.up.nic.in

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और विस्तार

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

अधिनियम संख्या 37 सन् 1970 की धारा 1 का संशोधन

2–ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 1 में उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी :–

(4) यह –

(क) ऐसे प्रत्येक अधिष्ठान के लिए लागू होता है जिसमें पचास (50) या इससे अधिक कर्मकार ठेका श्रमिक के रूप में नियोजित हैं या पूर्ववर्ती बारह मासों के किसी भी दिन नियोजित थे ;

(ख) ऐसे प्रत्येक ठेकेदार के लिये लागू होता है जो पचास (50) या इससे अधिक कर्मकारों को नियोजित करता है या जिसमें पूर्ववर्ती बारह मासों के किसी भी दिन बीस या इससे अधिक कर्मकार नियोजित किए थे :

परन्तु राज्य सरकार, ऐसा करने के अपने आशय की कम से कम दो मास की सूचना देने के पश्चात, इस अधिनियम के उपबन्ध, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे किसी भी अधिष्ठान या ठेकेदार के लिए लागू कर सकती है जो पचास [illegible] से कम उतने कर्मचारियों को नियोजित करता है जितने अधिसूचना में विनिर्दिष्ट [illegible]।

धारा 7 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 7 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित [illegible] बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :–

"(3) सभी प्रकार से आवेदन-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी आवेदन–पत्र यथा विहित रीति से प्रस्तुत किये जाने के दिनांक से एक दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण मंजूर करेगा या मंजूर करने से इन्कार करेगा या मंजूर करने से आपत्ति करेगा। उक्त अवधि के समाप्त होने पर रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया समझा जायेगा।

आवेदक आवश्यक दस्तावेजों और फीस संदाय के साथ विभागीय वेब–पोर्टल पर अपना आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर सकता है। ऐसी स्थिति में यदि आवेदन-पत्र सभी प्रकार से पूर्ण हों और आवेदक पात्र हो तो उसे वेब–पोर्टल द्वारा स्वतः रजि[illegible] प्रदान कर दिया जाएगा और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र ई–मेल के माध्यम से [illegible] दिया जाएगा :

परन्तु यदि रजिस्ट्रीकरण, तथ्य के दुर्व्यपदेशन द्वारा या [illegible] कर कूटरचित दस्तावेज के आधार पर प्राप्त किया गया हो तो ऐसा [illegible] और शून्य माना जाएगा और उसे रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी द्वारा नि[illegible] है तथा आवेदक के विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी।"

धारा 13 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 13 में उपधारा (3) के पश्चात् [illegible] दी जाएगी, अर्थात् :–

"(4) यदि अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन-पत्र सभी [illegible]ापन अधिकारी तीस दिन की अवधि के भीतर कोई आदेश [illegible] यह माना जाएगा कि उसे अनुज्ञप्ति प्रदान कर दी गई है।"

नयी धारा 25 क का बढ़ाया जाना

5–मूल अधिनियम की धारा 25 के पश्चात निम्नलिखित [illegible]:–

"25 क (1) इस अधिनियम के अधीन किये गये [illegible] जो जुर्माना या कारावास जो 6 माह तक हो सकता है [illegible] किसी अभियोजन के संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात [illegible] किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना [illegible] विहित रीति से ऐसे अपराध के लिए उपबन्धित अधिकतम [illegible] के साथ किया जा सकता है :

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन [illegible] बार अपराध कारित करने पर ही सुलभ होगी।

(2) किसी अपराध का शमन किये जाने के लिए प्रत्येक आवेदन यथा विहित प्रपत्र में और रीति से किया जायेगा।

(3) जहाँ किसी अपराध का शमन, किसी अभियोजन के संस्तुति किये जाने के पूर्व किया जाता है वहाँ ऐसे अपराधी के विरूद्ध जिसके संबंध में अपराध का इस प्रकार शमन किया गया हो, ऐसे अपराध के संबंध में कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जायेगा।

(4) जहाँ किसी भी अपराध का शमन, किसी अभियोजन कि संस्थित किये जाने के पश्चात किया जाता है वहां ऐसा शमन, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा उस न्यायालय के संज्ञान में लिखित रूप में लाया जायेगा जिसमें ऐसा अभियोजन लम्बित हो और अपराध के शमन का इस प्रकार संज्ञान में लाये जाने पर वह व्यक्ति, जिसके विरूद्ध इस प्रकार अपराध का शमन किया गया हो, उन्मोचित कर दिया जायेगा।"

\\Data-6\E\data6_E\Vidhaika_2017\41 Vidhaika_2017_Labour.doc

उद्देश्य और कारण

कतिपय अधिष्ठानों में ठेका श्रमिकों के नियोजन को विनियमित करने तथा कतिपय परिस्थितियों में उसका उत्सादन करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 अधिनियमित किया गया है । उक्त अधिनियम में अधिष्ठानों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण और बीस या उससे अधिक ठेका श्रमिकों का नियोजन करने वाले ठेकेदारों के अनुज्ञापन की भी व्यवस्था है ।

औद्योगिक एवं वाणिज्यक गठन में वैश्वीकरण, उदारीकरण तथा परिणामित प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के कारण इस अधिनियम के उपबन्धों से लघु अधिष्ठानों और ठेकेदारों को छूट प्रदान करने तथा रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन प्रक्रिया हेतु निश्चित समय सीमा निर्धारित करने के लिये और न्यायालयों में अनावश्यक मुकदमेंबाजी से बचने के लिये तथा लम्बित अनेक वादों में कमी करने के उद्देश्य से लघु अपराधों के शमन का उपबन्ध पुरःस्थापित करने की मांग बढ़ती रही है। नियोक्ता संघों एवं व्यापार संघों से सम्यक विचार–विमर्श और परामर्श के पश्चात् यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त अधिनियम का उत्तर प्रदेश राज्य में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में यथा पूर्वोक्त उपबन्ध करने के लिये संशोधन किया जाय ।

तद्नुसार ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पुरःस्थापित किया जाता है ।

स्वामी प्रसाद मौर्य,
मंत्री,
श्रम एवं सेवायोजन।

३

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 में किये जाने वाले ऐसे उपबन्ध का ज्ञापन-पत्र जिसमें विधायन अधिकार का प्रतिनिधान अन्तर्ग्रस्त हैं।

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 द्वारा, –

(क) बढायी जाने वाली मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) में राज्य सरकार को ऐसी रीति विहित करने की शक्ति दी जा रही है जिससे रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी रजिस्ट्रीकरण मंजूर करेगा या मंजूर करने से इंकार करेगा;

(ख) बढ़ायी जाने वाली धारा 25–क की उपधारा (2) में राज्य सरकार को ऐसा प्रपत्र विहित करने की शक्ति दी जा रही है जिसमें किसी अपराध के शमन के लिए आवेदन-पत्र दिया जायेगा और ऐसी रीति विहित करने की शक्ति दी जा रही है जिससे किसी अपराध का शमन किया जायेगा।

उपर्युक्त प्रतिनिधान सामान्य प्रकार के हैं।

स्वामी प्रसाद मौर्य,
मंत्री,
श्रम एवं सेवायोजन।

मजदूरी संदाय (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1—(1) यह अधिनियम मजदूरी संदाय (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

अधिनियम संख्या 4 सन् 1936 की धारा 6 का संशोधन

2—मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 की धारा 6 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

"6—औद्योगिक या किसी अन्य अधिष्ठान का प्रत्येक नियोक्ता, अपने कर्मचारियों को मजदूरी का भुगतान, बैंक चेक या नेशनल इलेक्ट्रानिक फण्ड ट्रान्सफर या इलेक्ट्रानिक क्लीयरिंग सर्विस सिस्टम के माध्यम से उनके बैंक खातों में करेगा :

परन्तु, यदि किसी नियोजित व्यक्ति का कार्य अस्थायी/आकस्मिक/नियत कालिक प्रकृति का हो और वह अपने अर्जित मजदूरी के नगद भुगतान का अनुरोध लिखित रूप में करता है और अपने स्वप्रमाणित आधार कार्ड की प्रतिलिपि प्रस्तुत करता है तो संबंधित नियोक्ता तीन माह की अवधि के दौरान अनधिक पाँच हजार रूपये की देय मजदूरी का नकद भुगतान संबंधित कर्मचारी को कर सकता है।

धारा 20-क का बढाया जाना

3—मूल अधिनियम की धारा 20 के पश्चात निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थातः—

अपराधों का शमन

"20—क (1) इस अधिनियम के अधीन किये गये ऐसे किसी अपराध का शमन, जो जुर्माना से या छः मास तक कारावास से या दोनों से दण्डनीय हो, सक्षम अधिकारी द्वारा जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना, द्वारा विनिर्दिष्ट करें, अभियुक्त व्यक्ति के आवेदन पर अभियोग संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात् ऐसे अपराध के लिये यथा विहित रीति से उपबन्धित अधिकतम जुर्माना की 50 प्रतिशत धनराशि के साथ, किया जायेगा :

परन्तु इस धारा के अधीन अपराधों का शमन केवल प्रथम बार अपराध कारित किये जाने पर उपलब्ध होगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी, किसी अपराध का शमन करने की शक्ति का प्रयोग, राज्य सरकार के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अध्यधीन करेगा ।

(3) किसी अपराध के शमन किये जाने के लिये प्रत्येक आवेदन यथा विहित प्रपत्र में और रीति से किया जायेगा ।

(4) जहाँ किसी अपराध का शमन, किसी अभियोजन के संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाता है वहाँ ऐसे अपराधी के विरुद्ध जिसके संबंध में अपराध का इस प्रकार शमन किया गया है, ऐसे अपराध के संबंध में कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जायेगा ।

(5) जहाँ किसी अपराध का शमन, किसी अभियोजन के संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाता है वहाँ ऐसा शमन, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा उस न्यायालय के संज्ञान में लिखित रूप में लाया जायेगा जिसमें ऐसा अभियोजन लम्बित है और अपराध के शमन का इस प्रकार संज्ञान में लाये जाने पर वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध, इस प्रकार अपराध का शमन किया गया हो उन्मोचित कर दिया जायेगा ।"

उद्देश्य और कारण

औद्योगिक एवं अन्य अधिष्ठानों में नियोजित व्यक्तियों के लिये बिना किसी अनुचित कटौती के मजदूरी संदाय प्रणाली की व्यवस्था और असंदाय या अनुचित कटौतियों और विलम्ब से संदाय के मामलों को तय करने के तन्त्र की व्यवस्था करने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 अधिनियमित किया गया है ।

विगत कुछ वर्षों में वित्तीय तथा बैंककारी परिदृश्य में परिवर्तन के कारण श्रमिकों की मजदूरी का पूर्ण संदाय सुनिश्चित करने और नकदी अर्थव्यवस्था में कटौती करने के लिये यह समीचीन माना गया है कि उक्त अधिनियम का क्रियान्वयन अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी और सुविधाजनक होगा, यदि मजदूरी का संदाय चेक या अन्य बैंककारी लिखतों के माध्यम से किया जाय । न्यायालयों में अनावश्यक मुकदमेंबाजी से बचने तथा लम्बित वादों की संख्या में कमी करने के उद्देश्य से लघु अपराधों के शमन का उपबन्ध पुरःस्थापित करने की मांग भी बढ़ती रही है। नियोक्ता संघों तथा व्यापार संघों से विचार–विमर्श और परामर्श करने के पश्चात् यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त अधिनियम का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में संशोधन किया जाय ।

तदनुसार मजदूरी संदाय (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पुरःस्थापित किया जाता है ।

स्वामी प्रसाद मौर्य,
मंत्री,
श्रम एवं सेवायोजन ।

मजदूरी संदाय (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 में किये जाने वाले ऐसे उपबन्ध का ज्ञापन पत्र जिसमें विधायन अधिकार का प्रतिनिधान अन्तर्ग्रस्त है।

मजदूरी संदाय (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 द्वारा बढ़ायी जाने वाली धारा 20-क की उपधारा (3) में राज्य सरकार को ऐसी रीति विहित करने की शक्ति दी जा रही है जिससे सक्षम अधिकारी द्वारा यथा उपबन्धित अपराध का शमन किया जायेगा।

उपर्युक्त प्रतिनिधान सामान्य प्रकार के हैं।

स्वामी प्रसाद मौर्य,
मंत्री,
श्रम एवं सेवायोजन।

मजदूरी संदाय (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 में किये जाने वाले ऐसे उपबन्ध का ज्ञापन पत्र जिसमें विधायन अधिकार का प्रतिनिधान अन्तर्ग्रस्त है।

मजदूरी संदाय (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 द्वारा बढ़ायी जाने वाली धारा 20-क की उपधारा (3) में राज्य सरकार को ऐसी रीति विहित करने की शक्ति दी जा रही है जिससे सक्षम अधिकारी द्वारा यथा उपबन्धित अपराध का शमन किया जायेगा।

उपर्युक्त प्रतिनिधान सामान्य प्रकार के हैं।

स्वामी प्रसाद मौर्य,
मंत्री,
श्रम एवं सेवायोजन।

मजदूरी संदाय (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 द्वारा संशोधित की जाने वाली मूल अधिनियम की संगत धारा का उद्धरण।

मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936

धारा **6. मजदूरी का चालू सिक्के या करेंसी नोटों में दिया जाना**—सभी मजदूरी चालू सिक्के या करेंसी नोटो या दोनों में दी जाएंगी :

परन्तु नियोजक, नियोजित व्यक्ति से लिखित प्राधिकार प्राप्त करने के पश्चात्, उसे मजदूरी का संदाय या तो चेक द्वारा कर सकेगा या फिर उसके बैंक खाते में जमा करके कर सकेगा।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 67 सा0 विधायी–24–7–2017–(705)–300+8 पार्चमेन्ट प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी/आफसेट

क्रम-संख्या-20

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–

डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 12 जनवरी, 2018

पौष 22, शक सम्वत् 1939

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 114 / 79-वि-1–18-1(क)7-2017

लखनऊ, 12 जनवरी, 2018

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने न्यूनतम मजदूरी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पर दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2018 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

न्यूनतम मजदूरी (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2017

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2018)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में, उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1–(1) यह अधिनियम न्यूनतम मजदूरी (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

अधिनियम संख्या 11 सन् 1948 की धारा 11 का संशोधन

2—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 11 में, उप–धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप–धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

(1) औद्योगिक या अन्य अधिष्ठान का प्रत्येक नियोक्ता/स्वामी अपने कर्मचारी को मजदूरी का संदाय, चेक या एन0ई0एफ0टी0, ई0सी0एस0 या अन्य बैंककारी समाधानों के माध्यम से करेगा :

परन्तु यदि नियोजित व्यक्ति का कार्य, अस्थायी/ आकस्मिक या नियत अवधि का है तो उसके द्वारा लिखित सहमति और स्व प्रमाणित आधार कार्ड की प्रतिलिपि प्रस्तुत किये जाने पर उक्त नियोक्ता तीन माह में एक बार अनधिक पाँच हजार रुपये की मजदूरी का नकद भुगतान करेगा।

उद्देश्य और कारण

अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिये न्यूनतम मजदूरी निर्धारण प्रणाली की व्यवस्था करने तथा सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के संदाय को सुनिश्चित करने की तंत्र की व्यवस्था करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 अधिनियमित किया गया है।

उक्त अधिनियम के क्रियान्वयन के विगत साठ वर्षों के दौरान वित्तीय तथा बैंककारी परिदृश्य में परिवर्तन के कारण श्रमिकों की मजदूरी का पूर्ण संदाय सुनिश्चित करने और नगदी अर्थव्यवस्था में कटौती करने के लिए यह अनुभव किया जाता है कि उक्त अधिनियम का क्रियान्वयन अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी और सुविधाजनक होगा, यदि मजदूरी का संदाय चेक या अन्य बैंककारी लिखतों के माध्यम से किया जाये। नियोक्ता संघों तथा व्यापार संघों से सम्यक विचार–विमर्श और परामर्श करने के पश्चात् यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त अधिनियम के अधीन चेक, आर0टी0जी0एस0,एन0ई0एफ0टी0 या अन्य बैंककारी समाधानों के माध्यम से मजदूरी के संदाय का उपबंध किया जाय। किन्तु विशिष्ट परिस्थितियों के अधीन किसी श्रमिक को तीन माह की अवधि में अनधिक पाँच हजार रुपये का नगद भुगतान एक बार में किया जा सकता है।

तदनुसार न्यूनतम मजदूरी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 114(2)/LXXIX-V-1-18-1(ka)7-2017
Dated Lucknow, January 12, 2018

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Nyuntam Majdoori (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 2017 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 11 of 2018) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on December 29, 2017.

THE MINIMUM WAGES (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 2017

(U.P. ACT NO. 11 OF 2018)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Minimum Wages Act, 1948 in its application to Uttar Pradesh.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and extent

1. (1) This Act may be called the Minimum Wages (Uttar Pradesh Amendment) Act, 2017.

(2) It shall extend to the whole of Uttar Pradesh.

Amendment of section 11 of Act no. 11 of 1948

2. In section 11 of the Minimum Wages Act, 1948 for sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted*, namely :-

"(1) Every employer/owner of Industrial or other establishment shall make payment of wages to his employee through cheque or N.E.F.T, E.C.S or other banking solutions:

Provided that if the work of employed person is of temporary, casual or fixed term then on his written consent and on submission of a copy of his self attested aadhar card, the employer can make cash payment of wages not more than rupees five thousand once in three months".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Minimum Wages Act, 1948 has been enacted by the Central Government with the object of providing a system of fixation of minimum wages for employees employed in scheduled employments and to provide a machinery for ensuring the payment of minimum wages fixed by the Government to employees.

During the last sixty years of the implementation of the Act, due to change in financial and banking scenario, to ensure full payment of wages to workers and to reduce cash economy, it is felt that the implementation of the Act would be more effective and convenient, if the payment of wages is made through cheque or by other banking instruments. After due consideration and consultation with association of employers and trade unions, it has been decided to make provision for payment of wages through cheque, RTGS, NEFT or other banking solutions under the said Act, but under specific circumstances, cash payments of not more than Rs. five thousand can be made to a worker once in three months period.

The Minimum Wages (Uttar Pradesh Amendment) Bill, 2017 is introduced accordingly.

By order,

VIRENDRA KUMAR SRIVASTAVA,

Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 807 राजपत्र—(हिन्दी)—2018—(2527)—599 प्रतियां—(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 161 सा0 विधायी—2018—(2528)—300 प्रतियां—(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सभी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से होने वाली भर्तियां सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से अधिसूचित किये जाने की व्यवस्था की जाय। सभी सेवायोजक अपनी रिक्ति सेवायोजन विभाग के पोर्टल पर अपलोड करें। पोर्टल पर रिक्ति पृथक से प्रकाशित की जाय तथा रिक्ति में उल्लिखित योग्यताओं को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों के पास एस0एम0एस0 के माध्यम से रिक्ति की सूचना प्रेषित कर दी जाये। रिक्ति के सापेक्ष आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों के नाम सेवायोजक को प्रेषित कर दिये जाये। सेवायोजक अपने स्तर पर स्क्रीनिंग करके उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के सापेक्ष एक निश्चित अनुपात में ही अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा/साक्षात्कार हेतु आहूत करें। चयन की कार्यवाही सेवायोजक द्वारा पूरी की जाये तथा अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के नाम भी सेवायोजन विभाग के पोर्टल पर प्रदर्शित किये जाये।

कृपया उपर्युक्त आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय

राहुल भटनागर
मुख्य सचिव

संख्या-371(1)/छत्तीस-5-2017 तददिनॉक।

प्रतिलिपि निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,

(राजीव शर्मा)
विशेष सचिव

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-3/2017/371/छत्तीस-5-2017-5(7)/2015

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।

श्रम अनुभाग-5 लखनऊ : दिनॉक 29 जून, 2017

विषय: सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों में संविदा/सेवाप्रदाता के माध्यम से भरी जा रही रिक्तियों को सेवायोजन विभाग के पोर्टल पर अपलोड किया जाना तथा उन्हें पोर्टल के माध्यम से भरा जाना।

महोदय,

रोजगार कार्यालय (रिक्तियों का अनिवार्य अधिसूचन) अधिनियम, 1959 के प्रस्तर-4(1) में निम्नवत् प्राविधानित है :-

4(1).After the commencement of this Act in any state or area thereof the employer in every establishment in public sector in that state or area shall, before filling up any vacancy in any employment in that eatablishment, notify that vacancy to such employment exchanges as may be prescribed.

शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि सेवायोजकों द्वारा उक्त प्राविधान का अनुपालन नही किया जा रहा है। कृपया प्राविधान का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

2- उक्त के अतिरिक्त वर्तमान में विभिन्न सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों में सेवाप्रदाता के माध्यम से भी भर्तियां की जा रही है। इन भर्तियों का व्यापक प्रचार-प्रसार न हो पाने के कारण एक ओर बेरोजगारों को सीमित अवसरों में से रोजगार चुनना पडता है, दूसरी ओर सेवायोजकों को भी अवसर के अनुरूप कुशल अभ्यर्थी के चयन में असुविधा होती है। सेवायोजन विभाग, उ0प्र0 द्वारा sewayojan.up.nic.in नामक पोर्टल तैयार कराया गया है। इस पोर्टल पर लाखों की संख्या में योग्य एवं प्रशिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थी पंजीकृत है। पोर्टल पर अभ्यर्थियों को परीक्षा/साक्षात्कार की सूचना एस0एम0एस0/ई-मेल से दिये जाने की भी सुविधा है।

2/-

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।